न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/38

रामदत्त पुत्र श्री धन्ना लाल आयु 48 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. द्वारका लाल पुत्र रामकिशन आयु 54 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक तालेडा, जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाडपुर तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 243, 244 की रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 1098/243 रकबा 2.4281 हैक्टर कायम किये गये हैं । अप्रार्थी कम 01 ने उक्त भूमि का रहन नामा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 08.04.2015 को गवाहान के समक्ष निष्पादित करवाया और नोटेरी करवाया । रहननामा के अनुसार उक्त अवधि लगातार उस समय तक बढती रहेगी जब तक अप्रार्थी कम 01 रहन की राशि अदा नहीं कर देता । उक्त रहननामा दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से निष्पादित किया गया था ।

रहननामा निष्पादित करने के पश्चात् प्रार्थी उक्त आराजी का उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है । प्रार्थी ने अप्रार्थी से जुलाई, 2021 में अपने रहननामा की राशि लौटाने की मांग की परन्तु अप्रार्थी के मन में बदनियति आ गई और वह उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है । अप्रार्थी ने प्रार्थी से 12 लाख रूपये की राशि प्राप्त की है तथा उक्त आराजी को प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा है । अप्रार्थी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित होने के आधार पर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है । अप्रार्थी को उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी रहननामा दिनांक 08.04.2015 की रहन की गई राशि को अदा किये बिना उक्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थी के उक्त आराजी में उनके कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में कथन किया कि प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है और अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है । उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थी ने प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद दिनांक 05.07.2021 को पेश किया था जिसमें अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की थी जिसकी जानकारी प्रार्थी को है । प्रार्थी द्वारा जिसका जवाब दिनांक 30.07.2021 को परीक्षण न्यायालय में पेश किया था । इसके बावजूद प्रार्थी ने यह नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

5. तत्पश्चात् अप्रार्थी कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 10 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी (द्वारका लाल) ने प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 05.07.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी प्रार्थी रामदत्त को जानकारी प्राप्त है । उसके पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 19.08.2021 को नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने जानबूझकर विरोधाभासी निर्णय पारित करवाने की मंशा से समान विषय वस्तु के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि प्रार्थी का पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का है । द्वारका लाल बनाम रामदत्त प्रकरण का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक के लिए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थना पत्र रामदत्त बनाम द्वारका लाल की सुनवाई स्थगित किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर स्थगित फरमाया जावे ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.02.2022 के द्वारा अप्रार्थी कम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर

1098/243 रकबा 2.4281 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर तहसील तालेडा के सम्बन्ध में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.08.2021 को निरस्त कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2022 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्व में जारी किसी अन्य वाद में स्थगन बाबत् तथ्य का उल्लेख किया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा एक वाद अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें दिनांक 30.07.2021 तक यथास्थिति थी किन्तु वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर भिन्न हैं एवं दिनांक 22.09.2021 के पश्चात् आज तक कोई भी स्थगन आदेश नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2022 की प्रमाणित प्रति एवं मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के समक्ष अपीलान्ट ने दिनांक 19.08.2021 को एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया नोटिस जारी होने पर दिनांक 11.02.2022 को पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट कम 01 ने दिनांक 08.04.2015 को गवाहान की उपस्थिति में रहननामा आलेखित कर स्वयं के खाते एवं कब्जे की आराजी ग्राम ढाकझाी तहसील तालेडा की खसरा नम्बर 243, 244 की रकबा 17 बीघा भूमि अपीलान्ट के पक्ष में लिखा–पढी कर रखी है तब से अपीलान्ट उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट कम 01 की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने उक्त आराजी को अभी तक रहन

मुक्त नहीं करवाया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में है और काबिज व्यक्ति को दौराने वाद किसी भी तरह से बेदख लनहीं किया जा सकता । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश में नहीं आता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि दोनों प्रकरणों को एक साथ सुना जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन आरएलआर 1985 पेज 24, आरआरटी 2018 (2) पेज 948, आरबीजे 2017 पेज 255, आरआरटी 2014 (1) पेज 409, डीएनजे 2014 (1) (राज0) पेज 35, आरआरटी 2021 (2) पेज 1417, एआईआर 2000 (एससी) पेज 302 उद्वरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1098/243 रकबा 2.4281 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में ही एक वाद द्वारका लाल बनाम रामदत्त पेश कर रखा था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 06.07.2021 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी थी । उक्त प्रकरण में अपीलान्ट रामदत्त मय अधिवक्ता दिनांक 30.07.2021 को उपस्थिति दे दी थी । इस प्रकार अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी दिनांक 30.07.2021 को ही हो चुकी थी फिर भी समस्त तथ्यों को छुपाकर दिनांक 24.08.2021 को यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया । अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय में ही काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । अपीलान्ट की धारा 225 की अपील मेन्टेनेबल नहीं है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (2) के अनुसार रहन की अवधि 05 वर्ष होती है और 05 वर्ष की अवधि के बाद रहन स्वतः ही समाप्त हो जाता है । अपीलान्ट ने तथ्य छुपाकर परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपखण्ड अधिकारी तालेडा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र संख्या 47/2021 एवं उसके आदेशिका की फोटो प्रति संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारका लाल ने दिनांक 06.07.2021 को अपीलान्ट के विरूद्ध पेश किया है जिसमें अपीलान्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम लाडपुर की आराजी खसरा नम्बर 1098/243 रकबा 15 बीघा द्वारका वल्द रामकिशन के नाम खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति इकरारनामा जो द्वारका लाल द्वारा रामदत्त के पक्ष में दिनांक 08.04.2015 को निष्पादित किया गया है । फोटो प्रति कृषि भूमि रहननामा दिनांक 08.04.2015 संलग्न है जिसमें द्वारका लाल ने रामदत्त के पक्ष में ग्राम ढाकणी की खसरा नम्बर 243, 244 रकबा 17 बीघा भूमि रहन रखी है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 1098/243 रकबा 15 बीघा भूमि द्वारका वल्द रामकिशन के खाते में दर्ज है ।

14. वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1098/243 रकबा 2.4281 हैक्टर वाके ग्राम लाडपुर के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में ही एक वाद द्वारका लाल बनाम रामदत्त पेश कर रखा था जिसमें परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 06.07.2021 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी थी । उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उनके विद्वान् अभिभाषक ने दिनांक 30.07.2021 को उपस्थिति दे दी थी । अपीलान्ट को यदि कोई आपत्ति थी तो वे परीक्षण न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र में अपने जवाब के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकते थे, परन्तु उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय में अलग से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । परीक्षण न्यायालय में वाद अभी विचाराधीन है । इस प्रकार विचारण वाद के अपीलान्ट के द्वारा समान विषय वस्तु पर परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा